निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 6/2022
दायरा दिनांकः–15.03.2022
निर्णय दिनांकः– 29.1.25

उनवान

1. नरेश चन्द आयु 57 वर्ष पुत्र मुकुट बिहारी जाति ब्राहम्ण निवासी छबडा जिला बारां (राज0)।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज०)।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः– 29.1.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री राजेश भार्गव– प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,136 एल0आर0एक्ट0 विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि प्राथ्री के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की पैत्रिक कृषि आराजी खसरा नम्बर 10 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा खसरा नम्बर 267 रकबा 4 बीघा 03 बिस्वा खसरा नम्बर 410 रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा खसरा नम्बर 428/198 रकबा 4 बीघा खसरा नम्बर 430/199 रकबा 4 बीघा 05 बिस्वा खसरा नम्बर 445/213 रकबा 12 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 26 बीघा 16 बिस्वा माल बल्हारपुर एवं खसरा नम्बर 515 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा वाके माल शेखापुर तहसील छबडा जिला बारां राजस्थान में स्थित है जिनकी नकल जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न पेश है। उक्त ग्राम बल्हारपुर एवं ग्राम शेखापुर तहसील छबडा की आराजी में प्रार्थी का हिस्सा 1/3 दर्ज जमाबन्दी चला आ रहा है। उक्त वाद ग्रस्त आराजी पैत्रिक होने से पूर्व में प्रार्थी के पिता मुकुट बिहारी पुत्र गोपाल जाति ब्राहम्ण के खातेदारी में दर्ज चली आ रही थी प्रार्थी के पिता मुकुट बिहारी के फोत होने के बाद उक्त आराजी मृतक के वैध वारीसों के नाम जर्ये फोती इन्तकाल नम्बर 262 ग्राम बल्हारपुर व इन्तकाल नम्बर 216 ग्राम शेखापुर से दर्ज खाते हुई उक्त फोती इन्तकाल खोलतें समय हल्का पटवारी एवं राजस्व कर्मचारियों द्वारा ग्राम बल्हारपुर की जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड में नरेश कुमार बोलता नाम दर्ज कर दिया जब की प्रार्थी का वास्तविक नाम नरेशचन्द है ग्राम शेखापुर के फोती इन्तकाल 216 में

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड में हल्का पटवारी द्वारा सही नाम नरेशचन्द ही दर्ज किया प्रार्थी का वास्तविक नाम नरेशचन्द ही है जो समास्त राजकीय दस्तावेजों में नरेश चुन्द ही अंकित है। जो संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। इसी तरह ग्राम बल्हारपुर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की माता एवं मृतक पिता मुकुट बिहारी की पत्नि का नाम भी लिपिकिय त्रृटि से बोलता नाम गोमदी बाई बेवा मुकुट बिहारी दर्ज कर दिया जब की ग्राम शेखापुर की कृषि आराजी में प्रार्थी की माता का नाम भी वास्तविक सही नाम गोमती बाई दर्ज किया है। ग्राम बल्हारपुर की उक्त कृषि आराजी में आज भी प्रार्थी का अशुद्ध नाम नरेश कुमार माता का नाम गोमदी बाई दर्ज चला आ रहा है। बाद में राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से ग्राम शेखापुर की जमाबन्दी में प्रार्थी की माता का नाम भी गोमदी दर्ज कर दिया। विवादग्रस्त प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 1 में अंकित ग्राम बलहारपुर की कृषि आराजीयात में प्रार्थी एवं प्रार्थी की माता का नाम गलत अंकित होने से प्रार्थी विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित हो रहा है एवं इस कारण प्रार्थी अपने हिस्से की आराजी को विकसित करने से वंचित हो रहा है जिससे प्रार्थी को भारी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। प्रार्थना पत्र कि मद नम्बर 1 में वर्णित ग्राम बलहारपुर, शेखापुर की कृषि आराजी के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का बोलता नाम नरेश कुमार एवं माता का बोलता नाम गोमदी बाई राजस्व कर्मचारी की लापरवाही से दर्ज हुआ है जब की प्रार्थी का वास्तविक नाम नरेश चन्द एवं प्रार्थी की माता का वास्तविक नाम गोमती बाई मृतक पिता का नाम मुकुट बिहारी है पिता का भी नाम मुकुट बिहारी के स्थान पर मुकट बिहारी अंकित कर दिया प्रार्थी उक्त राजस्व रिकार्ड की त्रुटियों को दुरूस्त कराने का वैधानिक अधिकारी है। यदि प्रार्थी कि उक्त आराजीयात में उक्त गलतियों को शुद्ध नही किया गया तो प्रार्थी को अनेका अनेक वाद विवादों में उलझना पडेगा जिसमें भारी धन एवं समय कि बर्बादी होगी व प्रार्थी को भारी नुकसान उठाना पडेगा। जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार सम्भव नही है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश नही करने पर जवाब बन्द किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम बल्हारपुर सम्वत् 2046–49 खाता संख्या 88 नकल जमाबन्दी ग्राम बल्हारपुर सम्वत् 2050–53 नकल जमाबन्दी ग्राम शेखापुर सम्वत् 2048–51 खाता संख्या 90 फोटो पहचान पत्र गोमती बाई मृत्यु प्रमाण पत्र गोमती बाई नकल जमाबन्दी ग्राम शेखापुर सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 515 नकल जमाबन्दी ग्राम बल्हारपुर सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 149 फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड फोटो प्रति सेकण्डरी स्कुल का प्रमाण पहचान पत्र नरेशचन्द आधार कार्ड नरेशचन्द पेश किया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सूनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम बल्हारपुर व शेखापुर तहसील छबडा में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा दर्ज चला आ रहा है विवादित आराजी पैत्रक हे

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

प्रार्थी के पिता मुकुट बिहारी के फोत होने पर उक्त आराजी नामान्तरण संख्या 262 ग्राम बल्हारपुर एवं नामान्तरण संख्या 216 ग्राम शेखापुर की वारिसान के नाम दर्ज हुई फोती नामान्तरण दर्ज करतें समय सहवन से ग्राम बल्हारपुर की आराजी में प्रार्थी का बोलता नाम नरेश कुमार दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम नरेशचन्द है ग्राम शेखापुर की भूमि में प्रार्थी का सही ना नरेशचन्द दर्ज किया है प्रार्थी के अन्य दस्तावेजों में भी नरेशचन्द दर्ज है प्रार्थी की माता का नाम गोमती बाई दर्ज चला आ रहा था परन्तु सहवन से गोमदी बाई दर्ज कर दिया इसी प्रकार बल्हारपुर की आराजी में सहवन से गोमती बाई के स्थान पर गोमदी बाई दर्ज कर दिया है जबकि प्रार्थी की माता का अन्य दस्तावेजों में सही नाम गोमती बाई दर्ज है राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी व प्रार्थी की माता का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित हो रहा है इसी प्रकार प्रार्थी के पिता मुकुट बिहारी के स्थान पर मुकुट बिहारी दर्ज कर दिया है जबकि प्रार्थी के मृतक पिता का सही नाम मुकुट बिहारी है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी का व प्रार्थी की माता व पिता का सही नाम दर्ज किया जावें।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सूनी गई पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम बल्हारपुर सम्वत् 2046–49 खाता संख्या 88 में मुकुट बिहारी पुत्र गोपाल ब्राहम्ण दर्ज है जमाबन्दी के कॉलम संख्या 13 से 17 में इन्तकाल नम्बर 26 से मुकुट बिहारी के स्थान पर लक्ष्मीनारायण, रमेशचन्द, नरेश कुमार तथा बेवा गोमदी बाई का नाम दर्ज करने का नोट अंकित हे नकल जमाबन्दी ग्राम शेखापुर सम्वत् 2052–55 खाता संख्या 116 में लक्ष्मीनारायण रमेशचन्द, नरेशचन्द पुत्र मुकुट बिहारी गोमती बाई बेवा मुकुट कोम ब्राहम्ण दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम शेखापुर सम्वत् 2048–51 खाता संख्या 90 में मुकुट बिहारी पुत्र गोपाल जाति ब्राहम्ण सा0 छबडा दर्ज है जमाबन्दी के कॉलम संख्या 12 से 17 में नामान्तरण संख्या 216 दिनांक 16.12.1991 से मृतक मुकुट बिहारी के स्थान पर लक्ष्मीनारायण रमेशचन्द, नरेशचन्द बेवा गोमती बाई का नाम दर्ज करने का नोट अंकित है इससे यह साबित होता है कि मुकुट बिहारी के वारिसान का फोती नामान्तरण ग्राम शेखापुर की भूमि का सही दर्ज किया गया परन्तु मृतक खातेदार का नाम सम्वत् 2052–55 की जमाबन्दी में मुकुट बिहारी के स्थान पर मुकट बिहारी दर्ज कर दिया कर दिया प्रार्थी व प्रार्थी की माता का नाम सही दर्ज है परन्तु ग्राम बल्हारपुर की भूमि में फोती नामान्तरण दर्ज करतें समय प्रार्थी नरेशचन्द व माता गोमती बाई का नाम गलत दर्ज किया गया है तथा मृतक पिता का नाम सही दर्ज किया है प्रार्थी की माता के अन्य दस्तावेज में सही नाम गोमती बाई है तथा प्रार्थी के अन्य दस्तोवजों का अवलोकन करने पर प्रार्थी का नाम नरेशचन्द पुत्र मुकुट बिहारी दर्ज है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों का अवलोकन करने पर प्रार्थी का नाम नरेशचन्द माता का नाम गोमतीबाई एवं मृतक पिता का सही नाम मुकुट बिहारी हे जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम बल्हारपुर तहसील छबडा के खसरा नम्बर 10 रकबा 10.1300 है0 खसरा नम्बर 267 रकबा 4.0300 है0 खसरा नम्बर 410 रकबा 1.0300 है0 खसरा नम्बर 428/198 रकबा 4.0000 है0 खसरा नम्बर 430/199 रकबा 4.0500 है0 खसरा नम्बर 445/213 रकबा 0.1200 है0 एवं ग्राम शेखापुर के खसरा नम्बर 515 रकबा 9.1500 है0 प्रार्थी का नाम नरेश कुमार के स्थान पर नरेशचन्द पिता का नाम मुकट बिहारी के स्थान पर मुकुट बिहारी एवं माता का नाम गोमदी बाई के स्थान पर गोमती बाई दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा